

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस महाविद्यालय के सस्य फार्म व केरिया फार्म पर मूंग, चंवला एवं बाजरा की बुवाई की जा चुकी है। मूंग, चंवला एवं बाजरा फसलों को बांटे पर देना है। अतः जो सज्जन फसल को बांटे पर लेना चाहे वे दिनांक 28.07.2018 को प्रातः 11:00 बजे सस्य विभाग में आकर खुली बोली लगा सकते हैं। फसलों का विवरण निम्न प्रकार से है।

सस्य फार्म			केरिया फार्म	
फसल	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल	फसल	क्षेत्रफल
मूंग	7B, 8B	2.8 हैक्टर	चंवला	8 हैक्टर
	8A	11 हैक्टर	मूंग	15 हैक्टर
	2A, 2B, 1A, 1B	1.5 हैक्टर		
	10A, 10B	2.2 हैक्टर		
चंवला	8C, 8D	3.5 हैक्टर		
	12 B	1.3 हैक्टर		
	12 c	1 हैक्टर		
बाजरा	11A	3 हैक्टर		
	11 B	6 हैक्टर		
	16 A, 16 B	3 हैक्टर		
	16 C	3.5 हैक्टर		
	16 D	0.5 हैक्टर		
मोठ	13	0.5 हैक्टर		
ग्वार	12 A	3 हैक्टर		
	12 D	0.2 हैक्टर		

निविदा की शर्तें एवं नियम:-

1. फसल की सभी फार्म सस्य क्रियाएं निराई, गुड़ाई, खाद, दवा का छिड़काव, रखवाली, कटाई, थ्रेसिंग समय पर स्वयं को करनी होगी तथा अनाज की बोरियां भरकर फार्म गोदाम एवं चारा डेयरी फार्म पर निविदाकर्ता को अपने साधन से डालना होगा।
2. सस्य फार्म/विभाग द्वारा सभी तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जायेगा तथा फार्म की देखरेख में सभी फार्म सस्य क्रियाएं करनी होगी।
3. फसल के लिए उर्वरक व कीटनाशक दवाईयों महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार दी जावेगी।
4. फसलों की चौकीदारी कार्य की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
5. फार्म प्रभारी के आदेशानुसार फार्म सस्य क्रियाएं समय पर नहीं करने तथा फसल में किसी प्रकार का नुकसान होने पर बटाई का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा तथा धरोहर एवं अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. उक्त बोर्ड गैर फसलों के बारे में जानकारी व निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में आकर कर सकते हैं।
7. खुली निविदा में भाग लेने वाले को 500/- रुपये बतौर धरोहर राशि जमा करानी होगी।
8. जिसके नाम बोली छुटेगी उसको रुपये 500/- प्रति हैक्टर बतौर अमानत राशि मौके पर ही जमा करानी होगी।
9. फसल की थ्रेसिंग कार्य महाविद्यालय के समय में स्वयं की थ्रेसिंग मशीन से ही करनी होगी तथा फार्म प्रभारी के आदेशानुसार ही करनी होगी। महाविद्यालय का हिस्सा फार्म पर पहुंचाने के बाद ही निविदाकर्ता को अपने हिस्से की पैदावार को महाविद्यालय के मुख्य गेट से ही ले जाना होगा। किसी भी प्रकार का फसल से सम्बन्धित सामान घास, चारा, अनाज आदि मुख्य गेट के अलावा ले जाने पर धरोहर एवं अमानत राशि जब्त कर कार्यवाही की जावेगी।
10. व्यक्ति/फर्म का बैंक में खाता होना आवश्यक है।
11. अन्य शर्तें मौके पर ही सुना दी जावेगी।
12. निविदा कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।



विभागाध्यक्ष
सस्य विज्ञान विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, श्री क.न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान् संयोजक एवं समस्त सदस्य, निविदा कमेटी, श्रीकनकूमवि, जोबनेर।
3. श्रीमान् आहरण एवं वितरण अधिकारी, लेखा शाखा, श्रीकनकूमवि, जोबनेर।
4. श्रीमान् प्रभारी, सिमका, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
5. सूचना पट्ट- नगरपालिका जोबनेर, ग्राम पंचायत डेहरा, ग्राम पंचायत जोरपुरा जोबनेर, ग्राम पंचायत ढाणी नागान्, ग्राम पंचायत बबेरवालो की ढाणी।



विभागाध्यक्ष
सस्य विज्ञान विभाग